

Government of India-Ministry of Railways Research Designs & Standards Organisation Lucknow - 226 011 DID (0522) 2450115 DID (0522) 2465310



### प्रेस विज्ञित

## आरडीएसओ द्वारा सतर्कता जागरूकता अभियान-2024 के अंतर्गत "रेलवे सेवा (आचरण) <u>नियम, 1966'' पर ऑनलाइन ज्ञान सत्र का आयोजन</u>

आरडीएसओ के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता अभियान-2024 के अंतर्गत दिनांक 06.09.2024 को "रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966" पर एक ऑनलाइन ज्ञान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में श्री अमर नाथ द्बे, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/आरडीएसओ ने रेल सेवा (आचरण) नियमों पर व्याख्यान दिया।

श्री दुबे ने रेल कर्मियों के लिए आवश्यक आचरण नियमों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें रेल सेवा के संदर्भ में "सरकार", "रेलवे सेवक" और "परिवार" जैसे प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई। उन्होंने ईमानदारी, कर्तव्य के प्रति समर्पण और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कड़े नियमों सहित सेवा आचरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने परिवार के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित नियमों और राजनीति, चूनाव और सार्वजनिक संगठनों से जुड़ने में रेल कर्मचारियों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाले नियमों पर भी बात की।

सत्र के इंटरैक्टिव प्रारूप ने प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से जुड़ने और विभिन्न विषयों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया। नियमों की गहरी समझ को सुनिश्वित करने हेतु सत्र के दौरान अचल और चल लेनदेन पर केंद्रित उल्लेखनीय चर्चा भी की गयी, जहां श्री द्बे ने प्रतिभागियों के प्रश्नों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए स्पष्ट उदाहरणों का उपयोग किया।

सत्र का समापन श्री अजय कुमार जायसवाल, निदेशक सतर्कता/आरडीएसओ द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिन्होंने श्री दुबे और सभी उपस्थित लोगों को उनकी भागीदारी और जुड़ाव के लिए आभार व्यक्त किया। इस सत्र में आरडीएसओ/लखनऊ सहित मुंबई, दिल्ली, बेंगल्रु, कोलकाता, जयपुर और भोपाल स्थित आरडीएसओ की क्षेत्रीय इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

सं पीआर/पब्लिसिटी/24/37

दिनांक :06.09.2024

कृपया उपरोक्त समाचार को फोटोग्राफ सहित अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें ।

-06/09/2024

कते कार्यकारी निदेशक/प्रशासन

सेवा में ,

संपादक



#### भारत सरकार = रेल मंत्रालय अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन लखनऊं - 226 011 EPBX (0522) 2451200 Fax (0522) 2458500

Government of India-Ministry of Railways Research Designs & Standards Organisation Lucknow - 226 011

> DID (0522) 2450115 DID (0522) 2465310



#### PRESS RELEASE

# RDSO organised online knowledge session on the "Railway Services (Conduct) Rules, 1966" under Vigilance Awareness Campaign-2024

As a part of Vigilance Awareness Campaign 2024, an online knowledge session on the "Railway Services (Conduct) Rules, 1966" was organised by RDSO Vigilance department on 06.09.2024. Shri Amar Nath Dube, Principal Chief Personnel Officer/RDSO delivered lecture on Railway Services (Conduct) Rules in this session.

Shri Dube provided a thorough overview of the Conduct rules essential for railway personnel, explaining key terms such as "Government", "Railway servant" and "family" in the context of railway service. He highlighted critical aspects of service conduct, including integrity, devotion to duty, and the stringent rules against sexual harassment in the workplace. He also addressed the rules regarding the employment of family members and the rules governing the participation of railway servants in politics, elections, and associations with public organizations.

The interactive format of the session allowed participants to engage actively and seek clarifications on various topics. A notable discussion centred on immovable and movable transactions, where Shri Dube used clear illustrations to address participants' queries comprehensively, ensuring a deep understanding of the rules.

The session concluded with a vote of thanks delivered by Shri Ajay Kumar Jaiswal, Director Vigilance/RDSO, who expressed gratitude to Shri Dube and all attendees for their participation and engagement. This Session was well attended by officers and staff from RDSO, Lucknow including its field units at Mumbai, Delhi, Bengaluru, Kolkata, Jaipur and Bhopal. Overall, the session was very well received and significantly enhanced awareness and understanding of the Railway Services (Conduct) Rules among railway officials.

No.PR/Publicity/24/37

Dt. 06.09.2024

Kindly arrange to publish the above news item along with photograph in your esteemed daily newspaper.

For Executive Director/Admin.

To,

The Editor,